राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

Website www.uniraj.ac.in, Email.acad.2uor@gmail.com

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2023/10873 दिनांक : 20/11/2023

—::परिपत्र ::—

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के क्षेत्राधिकार जयपुर व दौसा जिलो में स्थित राजकीय व निजी महाविद्यालयों में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/सीट अभिवृद्धि/स्थाई सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु संयोजक, निरीक्षण मण्डल (BOI) सब—कमेटी के द्वारा निरीक्षण दल का गठन किया जाता है, तदनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय का निर्धारित समय—सीमा के भीतर निरीक्षण सम्पन्न कर निरीक्षण दल द्वारा शीघ्र ही अपनी निरीक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाती है तदुपरान्त ही संबंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता कार्यवाही की जाती है, किन्तु विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण दलों द्वारा संबंधित महाविद्यालयों का निर्देशित समय—सीमा के भीतर निरीक्षण प्रक्रिया सम्पन्न नहीं की जाती है यहाँ तक कि बिना किसी उचित एवं ठोस कारण के सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण करने से मना कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप महाविद्यालयों को समयबद्ध सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाती है तथा अनावश्यक ही प्रशासनिक एवं विधिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति ना केवल विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पर अनावश्यक ही प्रश्नचिन्ह् उत्पन्न करती है अपितु ऐसा छात्रहित में भी कदापि नहीं है।

अतः निरीक्षण हेतु नियुक्त समस्त निरीक्षको को निर्देशित किया जाता है किः—

1. ऐसे निरीक्षक जो वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं तथा जिन्हें राजकीय/निजी महाविद्यालयों में निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया किया गया है/किया जाता है, वे निर्धारित समयावधि के भीतर ही अनिवार्य रूप से सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. निरीक्षक/निरीक्षण दल विशेष एवं आपात परिस्थितियों में ही संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने में असमर्थता निरीक्षक के रूप में नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के 7 (सात) दिन के भीतर आवश्यक रूप से लिखित पत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा प्रशासनिक दृष्टि से यह समझा जाएगा कि नियुक्त निरीक्षक/निरीक्षण दल संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु सहमत है, जिसके पश्चात संबंधित निरीक्षक की असहमति पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा, अतः तदनुसार निरीक्षक/निरीक्षण दल की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित महाविद्यालय का तुरन्त निरीक्षण कर निर्धारित की हुई निश्चित समय—सीमा के भीतर ही अनिवार्य रूप से अपनी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करे, ताकि प्रक्रिया एवं नियमान्तर्गत अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

कुलसचिव

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2023/10874-950 दिनांक : 20/11/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

1. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रपत्र को स्वयं के एवं अपने केन्द्र/विभाग/महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों के संज्ञान में लाये।
2. निदेशक इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

20.11.2023

उप—कुलसचिव
(शैक्षणिक—द्वितीय)